संख्या- 01/2016/ 82 /एक-4-2016 -111 बी-4/2012

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2016

विषय:- 'तहसील दिवस' पर प्राप्त, जन समस्याओं संबंधित शिकायतों को समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) जन-सुनवायी के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार के वर्ष 2015-16 के विकास एजेन्डा क तहत लोक शिकायत अनुभाग-5 मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रभावी शिकायत प्रबंधन, निवारण और निगरानी के लिए समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (Integrated Greivance Redressal System) जन-सुनवायी का विकास किया है जिसके माध्यम से विभिन्न शिकायत प्रबंध प्रणालियों को एकीकृत करके jansunwai.up.nic.in पर समाहित किया गया गया है। इस व्यवस्था से नागरिकों एवं शासन/ विभागों/ शासकीय कार्यालयों के बीच आसानी एवं पारदर्शी तरीके से संवाद हो सकेगा। नागरिक किसी भी समय शिकायतों को दर्ज कर सकेंगे, ट्रैक कर सकेंगे तथा सम्बंधित अधिकारियों को निस्तारण एवं अनुश्रवण की सुगम सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस व्यवस्था को शासनादेश संख्या-01/2016/01/ चौंतीस-लो0 शि0-05/2016 दिनांक-16 जनवरी, 2016 द्वारा दिनांक-25जनवरी, 2016 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, जो आपको सम्बोधित है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-01/2016/01/चौंतीस-लो0शि0-05/2016 दिनांक-16 जनवरी, 2016 द्वारा दिनांक-25 जनवरी, 2016 के प्राविधानानुसार कृपया निम्नानुसार कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय:-

(1) दिनांक-25जनवरी, 2016 से जिलाधिकारी कार्यालय में प्रतिदिन 10:00 बजे से 12:00 के मध्य जन सुनवायी, फैक्स, ई-मेल, काल सेन्टर आदि से प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टि तथा निस्तारण की कार्यवाही अनिवार्य रूप से इसी प्रणाली के माध्यम से की जाय।

--2--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) दिनांक 2 फरवरी, 2016 से होने वाले तहसील दिवसों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की फीडिंग इसी प्रणाली पर की जाय। चूंकि उस दिनांक तक लम्बित प्रार्थना पत्रों को इस प्रणाली पर इम्पोर्ट किया जायेगा अत: यह भी सुनिश्चित किया जाय कि अधिकाधिक प्रार्थना पत्रों को पहले ही गुणवत्तापरक तरीके से निस्तारित किया जाय।

(3) आई0जी0आर0एस0 के अन्र्तगत तहसील दिवस की कोडिंग की व्यवस्था में कोड 14 डिजिट का होगा। आवेदन कोड का प्रथम अंक 3 होगा, द्वितीय एवं तृतीय अंक 0 होगा, चतुर्थ पंचम षष्टम अंक शिकायत के क्षेत्र का तहसील कोड (जनगणना कोड) होगा, सातवां एवं आठवां वर्ष का कोड (2016 के लिए 16) होगा एवं अन्तिम छ: अंक 000001 प्रारम्भ होकर जनवरी से दिसम्बर तक लगातार चलेंगे। अत: उपरोक्त व्यवस्थानुसार 2 फरवरी, 2016 के तहसील दिवस के पूर्व ही रसीद की व्यवस्था प्रत्येक तहसील में कर ली जाय तथा सम्बंधित कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3- तहसील दिवस के आयोजन/व्यवस्था के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-609/एक-4-12-111बी-4/2012, दिनांक-16 मई, 2012 संख्या-1151/एक-4-12-88बी-4/2003, दिनांक-13 सितम्बर 2012 एवं संख्या-45/1546/एक-4-2014-124बी-4/2014, दिनांक-12 सितम्बर, 2014 को समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (IGRS) संबंधी शासनादेश संख्या-01/2016/01/चौतीस- लो0शि0-05/2016, दिनांक- 16 जनवरी, 2016 द्वारा लागू प्राविधानों की सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

अत: उपरोक्त वर्णित प्राप्त समस्त शिकायतों के सम्बंध में शासनादेश दिनांक-16 जनवरी, 2016 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-01/2016/82 (1)एक-4-15-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5- श्री अजय गोपाल, तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।
6- राजस्व सचिव शाखा के समस्त अनुभाग।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in